UPSM010030362026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) शामली।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1161/2026

शिवकुमार उर्फ पाल्लू पुत्र बन्धू, निवासी ग्राम दाढीनगर मजरा गढी हसनपुर, थाना झिंझाना, जिला शामली

.....आवेदक/अभियुक्त,

बनाम

राज्य **.....विपक्षी,**

मु.अ.सं. 90/2026
धारा 351(3) बी०एन०एस०
थाना झिंझाना , जिला शामली।

दिनांकः–20.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र आवेदक/अभियुक्त **शिवकुमार उर्फ पाल्लू पुत्र बन्धू** की ओर से बजरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को उक्त अपराध में गांव की पार्टीबाजी के आधार पर रंजिशन झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त से वादी मुकदमा की पुत्री बरामद नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध केवल धारा 351(3) बी.एन.एस. में आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें उसे दौरान विवेचना धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के नोटिस पर छोड़ा गया था। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, न ही उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा थाना झिंझाना पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 26.02.2026 को वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता ने अपनी माँ सोनिया को रोते–रोते बताया कि गांव का कुलदीप पुत्र शिवकुमार उर्फ पाल्लू पिछले छः महीने से लगातार बलात्कार कर रहा है। रात्रि में उसने सभी को गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी है, जिससे वादी मुकदमा की बेटी डरी हुई है और अपनी माँ को पूरी घटना बतायी। उसकी बेटी ने बताया कि छः महीने पूर्व आरोपी उपरोक्त ने उसे घेर में तमंचे के बल पर रात्रि के समय में बंधक बनाकर बलात्कार किया और जब वह दर्द व शर्म के कारण रोती बिलखती रही तो उसने वादी मुकदमा को बताया कि आरोपी ने मेरे साथ मारपीट की और गोली मारने की धमकी दी, जिसके बाद हर तीसरे चौथे दिन उसने उसकी बेटी के साथ गलत काम किया, उसे डराया धमकाया गया कि अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो तेरे गंदे फोटों वीडियों इंटरनेट पर डाल दूंगा और हर जगह बदनाम कर दूंगा, उसकी बेटी डर के कारण चुप रही और उसका जुल्म सहती रही। आरोपी आये दिन उसकी बेटी के साथ गलत काम किया है, जब वादी मुकदमा ने गांव के छोटे–बड़े को कहा सुनी की तो अब आरोपी व उसका पिता शिव कुमार, उसका भाई भोला गोली मारने व बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर अभियुक्तगण कुलदीप, शिव कुमार व भोला के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट

अन्तर्गत धारा 65(1),127(2),351(3) बी.एन.एस.व 3/4 पॉक्सो अधिनियम में दर्ज की गयी। बाद विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 351(3) बी.एन.एस. में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा पक्ष को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मामला सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय अपराध से संबंधित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त को धारा 35(3) दं०प्र०सं० का नोटिस प्रदान किया गया है। मामले में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। इसके इतर आवेदक/अभियुक्त अन्तरिम जमानत पर है तथा ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग किया गया हो। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए, गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाता है। तदानुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **शिवकुमार उर्फ पाल्लू पुत्र बन्धू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा रुपये 50,000/ (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंध–पत्र और इसी धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त दौराने विचारण साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं और न ही उन्हें प्रभावित करेगा।
2. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आता रहेगा एवं विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांकः–20.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो),
शामली।